तारीख हुक्म	राजस्व वाद संख्या 181/2016 अनवान गोमाराम बनाम रूपाराम वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार 2018 में पंचायत मुख्यालय ग्राम पंचायत चाड़ो की ढाणी में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत सम्मन प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हों। वादी स्वंय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार (कोर्ट) उपस्थित। लेकिन जबाव पेश नहीं करना चाहते है,जो जबाव बन्द किया जाता है। मूलवाद में प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 27.1.2017 को करवाई गई थी। और प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 31.1.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। और प्रकरण वादीगण साक्ष्य में चल रहा है। केम्प में वादी की ओर से साक्ष्य में स्वंय के बयान एवं अपने समर्थन में स्वतंत्र गवाह जेठाराम एवं पोकरराम के बयान करवाई गई। जो कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये। वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करवानें चाहते है,जो वादी साक्ष्य बन्द की जाती है। वादी की बहस सुनी गई। हमनें वादी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,बयानात एवं दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 499/299 रकबा 76–08 बीधा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें हिस्से खुले हुए नहीं है एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 430/166 व 595/166 कुल रकबा 37–15 बीधा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का दर्ज है। जो पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी संवत 2072 –2075 के अवलोकन से साबित है। एंव खसरा संख्या 499/299 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हिस्सै खुले हुए नहीं है। लेकिन पत्रावली में दर्शित वंशवृक्षावली,वादी के पक्ष में बयानात एवं रिकार्ड के आधार पर उक्त भूमि में 1/2 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है,जिसमें 1/2 हिस्से में वादी का 1/6 हिस्सा बनता है। एवं 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 7 है। जो वादीगण पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है। जो वादी राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार बंटवाड़ा करवाने

गोमाराम
पोकरराम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का हकदार भी है। एवं मजमे आम में पुछताछ करने पर उक्त तथ्यों की ताईद होती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सम्मन तामिल के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की भी मौन स्वीकृति है। उपरोक्त विवेचन उपरान्त साबित होता है,कि वादी का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाना उचित प्रतीत होता है।	
लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम धने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 499/299 रकबा 76–08 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 की धोषित की जाती है,वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की 1/2 हिस्सें में से 1/6 हिस्सा वादी की अलग से धोषित की जाती है। एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 430/166 व 595/166 कुल रकबा 37–15 बीधा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का धोषित करते हुए उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/ शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करगो। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। तदनुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हों। तहसीलदार सिणधरी को तहरीर जारी होकर मिसल–विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो।	
सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिणधरी	

Scanned by CamScanner

मूलवाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–पंचायत मुख्यालय चाड़ो की ढाणी)

पीठासीन अधिकारीः–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

उनवान

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

गोमाराम पुत्र शेराराम
जाति जाट निवासी धने की ढाणी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1.रूपाराम 2.केहरराम पिसरान वागाराम 3.श्रीमति नत्थूदेवी पत्नि वागाराम 4.बलवंतराम 5.पेमाराम पिसरान लिखमाराम 6.श्रीमति जस्सी देवी पत्नि लिखमाराम 7.रामाराम पुत्र खीमाराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88,53,188,92 क,209 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :–181/2016 निर्णय दिनांक :–29.5.2018

वादी की ओर से **स्वंय** उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 8** उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 29.5..2018 को **श्री अंजुम ताहिर सम्मा** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:– वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम धने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 499/299 रकबा 76–08 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 की धोषित की जाती है,वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की 1/2 हिस्सें में से 1/6 हिस्सा वादी की अलग से धोषित की जाती है। एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 430/166 व 595/166 कुल रकबा 37–15 बीधा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का धोषित करते हुए उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगे। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

यह आज तारीख.. 29/5/18 . को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner